कार्यालय–जिलाधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक : 2534/आठ–वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) दिनांक : 04-11-2026

आवेदन पत्र का आमंत्रण

जनपद वाराणसी में मल्टी माडॅल टर्मिनल (बन्दरगाह), रामनगर वाराणसी को जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन से जोड़ने में आने वाले भूमि का सरकारी कार्य हेतु अधिग्रहण में प्रभावित ग्राम–टेंगरा, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी से भूमि का अर्जन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। परियोजना परिक्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन से पूर्व सामाजिक समाघात अध्ययन कराया जाना है

क्र0सं0	परियोजना का नाम	जनपद	तहसील	ग्राम/परगना	आराजी सं0	प्रस्तावित रकबा (हे0 में)
1	जनपद वाराणसी में मल्टी माडॅल टर्मिनल (बन्दरगाह), रामनगर वाराणसी को जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन से जोड़ने में आने वाले भूमि	वाराणसी	सदर	टेंगरा	154	0.1780
कुल रकबा						0.1780

उक्त भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार (उ0प्र0) नियमावली–2016 के अनुसार सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थान/विश्वविद्यालयों आदि से उक्त परियोजना हेतु प्रभावित भूमि के सम्बन्ध में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधान के अनुसार अध्ययन करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय आवेदन आमंत्रित की जानी है।

01 पात्रताः–

(क) सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थान/विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

(ख) इच्छुक गैर सरकारी संस्थान प्रश्नगत अधिनियम में कम्पनी/सोसाईटी के रूप में पंजीकृत हो अथवा कम से कम पिछले 05 वर्ष से किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में पंजीकृत हो।

(ग) संस्थान के पास पर्याप्त मानव संसाधन, जिसमें योग्य स्तर के प्रबन्धन के लिए उपयुक्त व्यक्ति जो शीर्ष और मध्यम स्तर के प्रबन्धक स्तर पर कुशल कार्य कर रहे हो।

(घ) संस्थान के पास पेशेवर प्रबन्धक अर्थ शास्त्री, समाज शास्त्री/मानव वैज्ञानिक आदि होने चाहिए, जिसका विवरण आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।

(ड़) पूर्व में जिन्होंने सामाजिक समाघात अध्ययन किया हो ऐसे संस्थान को वरीयता दी जायेगी।

2. आवेदन पत्र का प्रारूप संस्थान द्वारा किये गये आवेदन में संस्थान की संरचना का विवरण शमिल होना चाहिए जो सामाजिक प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा। आवेदन के साथ सामाजिक प्रभाव अध्ययन या इसी तरह से जुड़े पूर्व में किये गये अध्ययनों का विवरण दिया जाय। जिससे परियोजना के सम्बन्ध में अध्ययन किये जाने से सम्बन्धित समय और स्वरूप का विवरण विस्तार से हो।

3. पात्रता का चयन प्राप्त कुल आवेदनों का मूल्यांकन संस्थान द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर किया जायेगा। इस कार्य हेतु उपलब्ध स्टाफ कार्यरत विशेषज्ञों तथा प्रस्तावित कार्य क्षेत्र अथवा अन्य प्रकार की परियोजनाओं हेतु किये गये पूर्व अध्ययन को शमिल किया जायेगा। अतएव संस्थान द्वारा इसका विवरण अवश्य अंकित किया जाय।

4. संस्थान के चयन को निरस्त करने के लिए किसी भी कारण का बताया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

5. इच्छुक संस्थानो के आवेदन पूर्व विवरण के साथ व्यक्तिगत माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक से दिनांक–10-11-2026 सांय 05:00 बजे तक सांस्कृतिक संकुल भवन, मकबूल आलम रोड, चौकाघाट, वाराणसी स्थित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) वाराणसी के कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्रो का परीक्षण एवं तुलनात्मक तालिका तैयार के उपरान्त चयनित एजेंसी को तद्नुसार सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) करने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

6. आवेदन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। वित्तीय मूल्यांकन हेतु सामाजिक सामघात किये जाने वाले शुल्क का विवरण (कर सहित) लागत सीलबन्द लिफाफे में दिया जाना होगा। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– प्रस्तावित भूमि का पूर्व विवरण अथवा खसरा/क्षेत्रफल/प्रभावित व्यक्ति/मानचित्र आदि कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

आज्ञा से
जिलाधिकारी
वाराणसी।

पत्रांक 2534/**तद्दिनांक।** 04-11-2026

प्रतिलिपि–1–आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–जिलाधिकारी वाराणसी, महोदय के स्वीकृति दिनांक–03.11.2026 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3–उपजिलाधिकारी सदर, वाराणसी।

4–भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी।

5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वाराणसी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

6– जिला सूचना अधिकारी वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त आमत्रंण पत्र को 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए बीजक सहित समाचार पत्रों की तीन–तीन प्रति विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4.11.26

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं0सं0), वाराणसी।